U.T. प्रति की 1 से 12 [illegible]	6-6-16 आज पत्रावली कैम्प कोर्ट में पेश हुई वादी वकील उप॰। प्रति॰ 1 ता 12 की ओर से श्री रूपचन्द वकील ने U.T. पेश की। प्रतिवकील ने दावा डिक्री किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं। तमाम पत्रावली व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वादी व नरसी प्रति॰ के पिता व पति श्री नेतराम पुत्र श्री [illegible] महाजन द्वारा [illegible] पंजीयन सं॰ 1141 दिनांक 11-12-1972 के साक्ष्य से ही प्रतिवादीगण का राजस्व रिकार्ड में अमल को कालम जन किया जाना उचित प्रतीत है। वादी का वाद डिक्री किया जाता है। प्रतिवादीगण 1 ता 12 का नाम आ.ख.नं. 361 व 362 वाके ग्राम [illegible] से कलम जन किये जाने के आदेश दिये जाते है। ख.नं. 361, 362 पर वादी व नर. प्रति. को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादीगण 1 ता 12 को जरिये हुक्म इम्तनाई दवामी से पाबन्द किया जाता है। राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। पत्रावली नतीजा [illegible] दाखिल दफ्तर की जावे। निर्णय कैम्प कोर्ट में खुले [illegible] जाकर सुनाया गया। [signature] उप खण्ड अधिकारी [illegible] (अलवर)

Scanned by CamScanner

प्रपत्र 5

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, कोटकासिम

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी :– बलवन्त सिंह लिम्बा

उनवान

दीनदयाल बनाम रामलाल वगैरा

दावा बाबत इस्तकरार हक, दुरुस्ती इन्द्राज, हुक्म इम्तनाई दवामी u/s 88-89-188 RT Act-1955

मुकदमा नम्बर :– 190/30-7-2014

निर्णय दिनांक :– 6/6/16

वादी की ओर से वादी वकील की व प्रतिवादी की ओर से .... की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख .... को बलवन्तसिंह लिम्बा (नाम पीठासीन अधिकारी)....., उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि – विवादित आराजीयात ख.नं. 361/0.03, 362/0-11 कुल किता-2 रकबा 0-14 बिस्वा वाके ग्राम मुन्डुराकलान तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज. से प्रतिवादीगण का नाम कलमजन किया जाने के आदेश दिये जाते हैं उक्त आराजीयात पर वादी व वर. प्रति. 15 से 21 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे। निर्णय डिक्री कैम्प कोर्ट में लिखाया जाकर खुले में कैम्प कोर्ट में सुनाया गया।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 6/6/16 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(बलवन्तसिंह लिम्बा)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, कोटकासिम

वाद के खर्चे

वादी	प्रतिवादी

Scanned by CamScanner